

File No. 24021/ 97/2014 -PC
Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Home Affairs/ गृह मंत्रालय
(पुलिस समन्वय अनुभाग)


नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
दिनांक अगस्त, 2014.

सेवा में,

श्री अशोक कुमार,
मकान सं. 960, वार्ड नं० 9 ई.
निकट दूरदर्शन केन्द्र,
जिला—देवरिया—274001
उत्तर प्रदेश।

विषय :-—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन श्री अशोक कुमार, निवासी देवरिया (उत्तर प्रदेश) के दिनांक 02.12.2013 के आवेदन के द्वारा मांगी गयी सूचना के उपलब्ध कराने के बारे में।

श्री अशोक कुमार निवासी देवरिया के दिनांक रहित प्रथम अपील के सन्दर्भ में गृह मंत्रालय (आर टी आई अनुभाग) के दिनांक 02.07.2014 के आदेश संख्या ए-43020/55/2014—आर टी आई तथा इसी सन्दर्भ में निदेशक (पी एम आर) एवं सी पी आई ओ (गृह मंत्रालय) के दिनांक 22 जुलाई 2014 के पत्र संख्या 25013/52/2014—पी एम-2 के अनुपालन में मुझे यह सूचित करना है कि आवेदक के दिनांक 02.12.2013 के आवेदन के क्र. सं. 9 पर जो सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है वह किसी विशिष्ट अवधि के लिए नहीं मांगी गयी है। अतः ऐसी अवस्था में पुलिस-1 प्रभाग (गृह मंत्रालय) के अधीन संचालित केन्द्रीय सैक्टर तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण पर व्यय की गयी राशि का व्याँसा उपलब्ध कराना संभव नहीं है।


३० जूलाई २०१४
(जी सी यादव)
उप सचिव (पी एम ए)
एवं सी.पी.आई.ओ.

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक (पी एम आर) एवं सी पी आई ओ को उनके पत्र दिनांक 22 जुलाई 2014 के सम्बन्ध में सूचनार्थ ।
2. अनुभाग अधिकारी, आर.टी.आई. सेल को उनके पत्रांक दिनांक 02.07.2014 के उर्फयुक्त का०ज्ञा०के सन्दर्भ में, सूचनार्थ प्रेषित ।
3. आई. टी. सेल : गृह मंत्रालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. गार्ड फाईल्स